तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/11/18	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस का अवसर दिया और पारित किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नकल के बाद को पत्रावली जेरा लेख न्यायालय में शामिल हो	
	सहायक कलक्टर (कार्य०) मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)	

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
102/2022	12.07.2022	19.12.2025

बउनवान

1. विकास पुत्र श्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी जाट भगोला तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र श्री मातिया उर्फ मातादीन
2. मातिया उर्फ मातादीन पुत्र श्री भगवाना
3. राजो पुत्री मातिया उर्फ मातादीन
4. धोली पुत्री मालिया उर्फ मातादीन
5. शुशीला पुत्री मातिया उर्फ मातादीन जातियान जाट निवासीयान जाट भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी अधिवक्ता –: श्री गंगाराम पटेल
अप्रार्थी अधिवक्ता –: श्री शशीकान्त गौड

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 1045/0.22 है0, 1071/0.08 है0, 1213/1166/0.16 है0, 291/0.06 है0, 392/0.04 है0, 432/0.16 है0, 486/0.17 है0, 561/0.13 है0, 625/0.14 है40, 646/0.25 है0, 736/0.15 है0, 941/0.33 है०, कुल किता 12 कुल रकबा 1.89 है0, वाके ग्राम

सहायक कलक्टर (आर.ए.एस.)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

जाट भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसमें अप्रार्थीगण सं० 2 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सा उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. यह है कि उक्त विवादित आराजी दादालायी पैत्रिक आराजी है, जिस आराजी में मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का जन्म से ही हक व अधिकार है। विवादित आराजी अप्रार्थी सं० 2 मातिया उर्फ मातादीन पुत्र श्री भगवाना के नाम राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज हो रहा है, मौके पर हिस्सेनुसार बंहामी बंटवारे के आधार पर मिन प्रार्थी व असल अप्रार्थीगण व तरप्रतिवादी काबिज होकर हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है।

5. यह है कि सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

मातिया उर्फ मातादीन प्रतिवादी

राजो पुत्री, प्रतिवादी	ओमप्रकाश पुत्र, प्रतिवादी	धोली उर्फ धनपति पुत्री, प्रतिवादी	शुशीला पुत्री प्रतिवादी
	विकाश पुत्र,	नेहा पुत्री	

6. यह है कि उक्त विवादित आराजी का राजस्व रिकोर्ड जो मिन प्रार्थी के दादा अप्रार्थी सं० 2 के नाम दर्ज है, उसमें से मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का मुताबिक हिस्से अनुसार हक व अधिकार कानूनन दादालायी आराजी में स्थित है। जिसे मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी प्राप्त करने के अधिकारी है। जिस आराजी में मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बाई बर्थ अधिकार रक्षित है।

7. यह है कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं० 2 कर्ता परिवार होने की वजह से रिकोर्ड में खातेदारी चल रही है। असल अप्रार्थी सं० 2 मिन प्रार्थी का दादा है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे परिवार के बारे में सोचने समझने की शक्ति नहीं है तथा असल अप्रार्थी सं० 1 मिन प्रार्थी का पिता है, जो शराबी प्रवृति का व्यक्ति है, असल अप्रार्थीगण सं० 1 ल0 5 आपस में साज बाज होकर उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल करने पर व निर्माण कार्य करने पर उतारू है असल अप्रार्थी सं० 1 ल0 5 खानदानी आराजी का बेचान कर व निर्माण कर मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को बरबाद करने पर तुले हुये है। जबकि इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रार्थी के पास जीवन यापन का एक मात्र सहारा उक्त आराजी है। जिस कारण मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी की गुजर बसर मुशकिल हो रही है। इसलिये प्रार्थी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक पेश करना लाजिम

सहायक कलेक्टर (प्रशि.)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आया है। इसलिये अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 को हु० ई० दवामी के इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी को दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना निर्माण कार्य करे ना मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को बेदखल करे ना ही मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

8. यह है कि दिनांक 05/07/2022 को असल अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 5 ने मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को एलानिया धमकी दी है कि हम उक्त आराजी को दीगर जगह रहन, बैय, मुन्तकिल करेगें और निर्माण करके रहेगें तुम्हे एक ईंच भी आराजी नहीं देगें इसलिये मिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ईश्तकरारहक बम्य हु० ई० दवामी पेश करना लाजिम आया है।
9. यह है कि मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, और अगर असल अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, इसलिये प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि असल अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी ख० नं० हाल 1045/0.22 है0, 1071/0.08 है0, 1213/1166/0.16 है0, 291/0.06 है0, 392/0.04 है0, 432/0.16 है0, 486/0.17 है0, 561/0.13 है0, 625/0.14 है0, 646/0.25 है0, 736/0.15 है0, 941/0.33 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 1.89 है0, वाके ग्राम जाट भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, को असल अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 5 दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना निर्माण कार्य करे ना मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को बेदखल करे ना ही मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे तथा असल अप्रार्थी सं० 6 व 7 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजीबद्ध ना करे। रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश दिये जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0 दी0 व धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 मिन अप्रार्थी स0 2 की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि पेरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है. स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है। काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
3. यह है कि पैरा स० 3 इतना स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी वाके ग्राम जाट भगोला तह० मुण्डावर में स्थित है। बावी पैरा गलत है. स्वीकार नही है। आराजी विवादित नही है।
4. यह है कि पैरा स० 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णीत आराजी मिन अप्रार्थी स० 2 की स्वअर्जित आराजी रही है तथा आराजी पर मिन अप्रार्थी स० 2 ही काबिज काश्त है।
5. यह है कि पैरा स० 5 बाबत खानदान सजरा है, जो कतई गलत है. स्वीकार नहीं है।
6. यह है कि पैरा स० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है.. नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। आराजी राजस्व रिर्कोड में सही दर्ज है तथा प्रार्थी को पूर्व दावे से ही जानकारी रही थी तथा प्रार्थी व उसके पिता आपस मे मिले हुये है, जिन्होने एक वाद बअनुवान ओमप्रकाश बनाम मातिया के नाम से भी पेश किया हुआ है, जो वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है तथा प्रार्थी ने दावा हाजा में तामील भी काफी देरी से कराई है, इसमें भी प्रार्थी ने जानबुझकर मात्र आराजी पर स्टे ले रखा है तथा अप्रार्थी की तबियत अक्सर खराब रहती है तथा कोर्ट खर्चा भी नहीं देता है तथा देखभाल भी नही करता है तथा प्रार्थी का एक मात्र सहारा जमीन है, जिससमें अपना पालन पोषण करता है तथा मिन अप्रार्थी स० 2 वृद्ध होने के कारण कुछ और काम नहीं कर सकता है तथा ना ही स्टे के कारण किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले सकता है तथा ना ही कुछ काश्त कर सकता है तथा प्रार्थी व उसका पिता किसी भी प्रकार से अप्रार्थी की मदद नहीं करते है।
7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थी अपनी आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथा प्रार्थी व उसके पिता का मिन अप्रार्थी की आराजी से कोई लेना देना नही है तथा राजस्व रिर्कोड में मिन अप्रार्थी के नाम का अंकन सही दर्ज हा रहा है तथा मिन अप्रार्थी अपनी आराजी पर निर्विवाद काबिज काश्त है तथा प्रार्थी ने दावा गलत तथ्यों पर पेश किया है, इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से रिर्कोडेड खातेदार को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।
8. यह है कि पैरा स० 8 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। मिन अप्रार्थी अपनी आराजी पर काबिज है तथा काश्त रहा है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व से रही है तथा प्रार्थी के पिता द्वारा पूर्व में भी एक वाद पेश कर रखा है तो कथित दिनांक को मिन

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (सैरथल-तिजारा)

अप्रार्थी द्वारा धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही है तथा ना ही प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है।

9. यह है कि पैरा स० 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा आराजी पर मिन अप्रार्थी स० 2 काबिज काश्त है तथा मिन अप्रार्थी स० 2 के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज हो रहा है तथा प्रार्थी गैर वास्ता व गैर काबिज होने के कारण प्रार्थी के कोई हक कानून द्वारा रक्षित नही है तथा ना ही प्रार्थी को कोई क्षति कारित होती है तथा प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा मय प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो काबिले खारीज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र म हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से बहस करते हुए निवेदन किया गया कि विवादित आराजियाँ दादालायी एवं पैतृक प्रकृति की हैं, जिन पर प्रार्थी तथा अन्य सह–उत्तराधिकारियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह भी तर्क दिया गया कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 2 का नाम दर्ज होना स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं है, अपितु वास्तविक अधिकार पैतृक उत्तराधिकार से उत्पन्न होता है।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अप्रार्थी सं. 2 कर्ता परिवार होने के कारण केवल प्रबंधनकर्ता है, न कि एकमात्र स्वामी। मौके पर सभी पक्षकार हिस्सेनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी विवादित आराजी से पूर्णतः गैर–वास्ता नहीं है।

यह भी तर्क दिया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी को बेचान, रहन, हिबा अथवा निर्माण किए जाने की स्पष्ट धमकी दी गई है, जिससे प्रार्थी के वैधानिक अधिकारों को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी।

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि संतुलन की सुविधा (balance of convenience) प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि विवादित आराजी प्रार्थी के जीवन–यापन का एकमात्र साधन है। यदि वर्तमान स्थिति बनाए रखी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई विशेष हानि नहीं होगी, जबकि निषेधाज्ञा न देने की स्थिति में प्रार्थी पूर्णतः

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

वंचित हो जाएगा। अतः न्यायहित में यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की विस्तृत बहस
इसके विपरीत, अप्रार्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के सभी तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कहा गया कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 2 की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर वह स्वयं लंबे समय से काबिज काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 2 का नाम निर्विवाद एवं निरंतर रूप से दर्ज चला आ रहा है, जो उसके अधिकार का सशक्त प्रथम दृष्टया प्रमाण है।

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी न तो रिकॉर्डेड खातेदार है और न ही मौके पर काबिज है। केवल पैतृक होने का कथन मात्र करने से अधिकार सिद्ध नहीं होता। प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पैतृक है या उस पर प्रार्थी का जन्मसिद्ध अधिकार विद्यमान है।

यह भी बताया गया कि प्रार्थी के पिता द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी के संबंध में पृथक वाद प्रस्तुत किया जा चुका है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान प्रार्थना पत्र केवल उसी वाद की पुनरावृत्ति है, जिसका उद्देश्य मात्र स्टे प्राप्त कर अप्रार्थी को उसकी वैध काश्तकारी एवं आजीविका से वंचित करना है।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अप्रार्थी सं. 2 एक वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन यही भूमि है। स्टे के कारण वह न तो कृषि ऋण प्राप्त कर पा रहा है और न ही भूमि का समुचित उपयोग कर पा रहा है। अतः संतुलन की सुविधा स्पष्ट रूप से अप्रार्थी के पक्ष में है।

अधिवक्ता ने यह भी प्रतिपादित किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों तत्व–प्रथम दृष्टया मामला, संतुलन की सुविधा एवं अपूरणीय क्षति–प्रार्थी द्वारा सिद्ध नहीं किए गए हैं। इसलिए रिकॉर्डेड खातेदार को उसकी भूमि के उपयोग से रोकना विधि एवं न्याय दोनों के विरुद्ध होगा।

अतः प्रार्थना पत्र को मिथ्या तथ्यों पर आधारित बताते हुए उसे हर्जा खर्चा सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि संक्षिप्त विवेचन तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। यह निर्विवाद है

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

कि विवादित आराजियाँ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा स्वयं के पक्ष में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो कि विवादित आराजी पैतृक होकर उस पर प्रार्थी का तत्काल प्रवर्तनीय अधिकार है।

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तत्व–(i) प्रथम दृष्टया मामला, (ii) संतुलन की सुविधा तथा (iii) अपूरणीय क्षतिकृप्रार्थी द्वारा संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं किए जा सके। दूसरी ओर, रिकॉर्डेड खातेदार को उसकी काश्तकारी एवं उपयोग से वंचित करना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। अतः आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत/खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (का०दे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0